भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1648
(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को दिया गया)

देश में सीएसआर नीति की प्रगति

1648. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले पांच वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि की पूरी राशि खर्च करने में सफल रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन-वार ब्यौरा तथा किए गए विकास कार्यों की प्रकृति का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत सरकार कोई सीएसआर निधि का व्यय नहीं करती है क्योंकि सरकार को सीएसआर फंड आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय करना अपेक्षित है।

सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, विगत पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में देश के राज्यवार और विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 10.12.2024 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अंडमान और निकोबार	0.82	1.29	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	665.97	710.23	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	24.56	18.02	10.58	119.42	13.35
4	असम	210.00	285.00	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	137.95	110.48	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	11.46	15.58	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	149.35	269.68	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	13.48	18.34	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	6.25	9.53	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	750.85	830.00	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	46.77	43.91	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,082.18	984.37	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	378.11	537.91	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	78.79	78.78	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	36.44	25.27	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	109.80	155.21	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,257.69	1,448.16	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	354.78	298.56	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.39	-	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	-	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	243.55	220.46	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,147.72	3,353.24	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	7.81	14.21	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	16.54	17.65	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.11	0.25	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	2.12	5.10	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	697.91	717.39	578.16	670.32	987.70
28	पुडुचेरी	9.15	11.32	12.43	9.31	12.55
29	पंजाब	166.85	189.44	158.46	184.89	247.57
30	राजस्थान	595.49	734.12	670.00	711.82	1,102.37
31	सिक्किम	5.87	10.99	17.28	28.24	36.18
32	तमिलनाडु	877.08	1,072.26	1,174.07	1,432.06	1,562.48
33	तेलंगाना	428.06	445.80	627.71	685.87	1,007.54
34	त्रिपुरा	23.06	9.40	9.29	15.91	19.26
35	उत्तर प्रदेश	521.32	577.98	907.32	1,339.18	1,152.57
36	उत्तराखंड	172.31	124.70	160.58	228.08	301.11
37	पश्चिम बंगाल	382.23	423.85	471.48	567.21	762.29
38	पैन इंडिया*	6,443.53	9,385.66	7,805.03	5,525.16	6,060.98
39	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	1,156.86	1,790.69	3,491.30	1,613.57	948.81
40	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	4.44	20.97	169.47	0.52	20.12
	कुल	**20,217.65**	**24,965.82**	**26,210.95**	**26,616.30**	**29,987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

*** कंपनियों ने या तो राज्य के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक II

दिनांक 10.12.2024 के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	कृषि वानिकी	64.75	67.38	20.90	34.27	65.07
2	पशु कल्याण	98.33	106.12	193.55	168.79	315.98
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, युद्ध विधवाएं /आक्षित	90.18	62.06	84.05	47.22	62.27
4	कला और संस्कृति	225.94	933.57	493.13	248.34	441.02
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	173.55	160.60	92.00	273.82	580.37
6	शिक्षा	6,111.66	7,179.51	6,693.25	6,569.82	10,085.78
7	पर्यावरणीय स्थिरता	1,368.27	1,470.53	1,030.16	2,433.24	1,960.13
8	लैंगिक समानता	51.86	82.93	43.83	104.67	119.83
9	स्वास्थ्य देखभाल	3,617.15	4,905.72	7,325.83	7,816.29	6,830.60
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	907.98	1,077.72	938.91	854.78	1,654.39
11	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	1,156.86	1,790.69	3,491.30	1,620.09	1,091.86
12	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	1,195.78	1,159.71	1,407.58	1,896.95	1,232.62
13	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2,434.17	2,301.02	1,850.71	1,833.76	2,005.37
14	सुरक्षित पेयजल	228.23	253.40	203.13	182.68	246.36
15	स्वच्छता	506.66	521.72	338.97	313.26	429.91
16	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	46.52	52.33	56.47	79.58	132.87
17	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	57.01	48.50	44.52	100.92	48.53
18	अनाथालय की स्थापना	12.89	36.50	21.88	27.52	41.24
19	स्लम क्षेत्र विकास	51.06	42.94	88.95	58.38	93.84
20	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	167.92	214.88	149.81	164.90	154.01
21	विशेष शिक्षा	186.13	196.88	209.24	190.52	305.67
22	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	32.10	53.50	62.62	8.57	1.38
23	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	310.16	304.00	243.39	291.85	526.14
24	व्यावसायिक कौशल	798.36	1,181.23	717.65	1,034.18	1,164.19
25	महिला सशक्तिकरण	236.54	259.57	206.00	261.34	396.99
26	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	87.61	502.79	203.14	0.59	1.50
	कुल	**20,217.65**	**24,965.82**	**26,210.95**	**26,616.30**	**29,987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

*** कंपनियों ने या तो राज्य के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**